22/11/21 प्रार्थी कपेव जरिये अधिवक्ता के उपस्थित होकर कुछ पाउ पेश किया जा चुका है अब इस पत्रावली के कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है प्रार्थी को प्रा. पत्र अनुसार लिपे खाता का विभाजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है पत्रावली निस्तारण करार होकर इस न्यायालय से कर दी गई दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.06 18:11:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner